

टेलीफोन]

२८६४. श्री माना : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश के कितने स्थानों में टेलीफोन लगाने का विचार है; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३७]

Telephone Connections

2865. Shri Manan: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether a large number of applications for telephone connections are pending for a long time in the districts of Darjeeling and Siliguri;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether outlying areas in Darjeeling are not given telephone connections unless heavy charges are paid; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Transport and Communications (Shri S. K. Patil): (a) 330 applications are pending in Darjeeling and Siliguri Districts.

(b) Lack of spare capacity in the Telephone Exchanges.

(c) At Darjeeling, telephones located within a radial distance of 3 miles from the exchanges are charged at Rs. 288 per annum. For distances exceeding 3 miles but not exceeding 4 miles additional charge of Rs. 36 per annum, is levied for every half mile or part thereof. For distances exceeding 4 miles rent is charged at special rates worked out on the cost involved in giving the connector.

(d) Normally in an exchange area most of the telephone subscribers are situated within a radial distance of 3 miles or at the most 4 miles. The construction costs involved for giving connections get distributed. The rates upto a distance of 4 miles from the exchange have thus been fixed on an average basis. For longer distances special construction has to be undertaken for individual subscribers and charges have consequently to be regulated in accordance with the expenditure incurred for a particular connection.

रेलों में भ्रष्टाचार

२८६६. श्री लच्छी राम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५८ को रेलों में भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कितने व्यक्ति लगे हुए थे और उनके वेतनों तथा भत्तों, भ्रादि के रूप में कितना वार्षिक व्यय हुआ ;

(ख) १९५७-५८ में इस विभाग ने भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े ;

(ग) उनमें से कितने अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये ;

(घ) कितने मामलों में अपराधियों को सजा हुई ;

(ङ) कितने व्यक्ति अदालत द्वारा छोड़ दिये गये ;

(च) कितने मामले अब भी अदालतों में विचाराधीन हैं; और

(छ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में बताये गये मामलों में से कितने मामले अधिकाधिकारियों द्वारा स्वयं पकड़े गये तथा कितने दूसरों की सूचना पर पकड़े गये ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री साहूजवाब जी) :
(क) ३४३ भादमी लगे हुए थे जिनपर
सालाना खर्च ८,३३,५७३ रुपये हुआ।

(ख) २५८८

(ग) ५०

(घ) २२

(ङ) १

(च) २७

(छ) २१७६ भादमी दूसरों की सूचना
पर पकड़े गये।

उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें

२८६७. श्री खुशवक्त राय : क्या
जायद तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा
करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार की
किन-किन चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने को
फसल खड़ी है ;

(ख) गन्ने को खड़ी फसल की पेराई
कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(ग) क्या ८ मई, १९५८ से पहले
गन्ने को खड़ी फसल की पेराई को पूरा करने
के कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

**जायद तथा कृषि मंत्री (श्री श. प्र०
जैन) :** (क) और (ख). उत्तर प्रदेश
और बिहार की निम्नलिखित १३ चीनी
मिलों के क्षेत्र में गन्ने की फसल खड़ी है।
पेराई समाप्त की सम्भावित तारीख
प्रत्येक के सामने अंकित है :

१ उत्तर प्रदेश

१ गोलागोकर्ननाथ २८-४-१९५८

२ मुहीउद्दीनपुर २८-४-१९५८

३ पिपराइच ३०-४-१९५८

४ बुढ़वाल १-५-१९५८

५ सिम्भावली २-५-१९५८

६ पीथीमोत ४-५-१९५८

७ डोईवाला ५-५-१९५८

८ काशीपुर १०-५-१९५८

९ शामली १२-५-१९५८

१० बहेड़ी १५-५-१९५८

२ बिहार

१ बघा २८-४-१९५८

२ हरिनगर ३०-४-१९५८

३ चनपटिया ३-५-१९५८

(ग) केवल तीन मिलें यानी काशीपुर,
शामली और बहेड़ी—८ मई के कुछ दिन
बाद तक पेराई जारी रखेंगी। मिलें
पूरे जोर से अपना कार्य कर रही हैं अतः
इस ओर और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता
नहीं है।

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION ISSUED UNDER ESSENTIAL
COMMODITIES ACT

The Deputy Minister of Agriculture
(Shri M. V. Krishnappa): Sir, on be-
half of my colleague, Shri A. M.
Thomas, I beg to lay on the Table,
under sub-section (6) of section 3 of
the Essential Commodities Act, 1955,
a copy of each of the following Notifi-
cations:—

(1) G.S.R. No. 217, dated the 7th
April, 1958.

(2) G.S.R. No. 218, dated the 8th
April, 1958, making certain fur-
ther amendment to the Punjab
Rice (Movement Control)
Order, 1957.

(3) G.S.R. No. 219, dated the 8th
April, 1958, making certain
amendment to the Amritsar
and Gurdaspur Districts Rice
(Export Control) Order, 1957.

(4) G.S.R. No. 241, dated the 15th
April, 1958, making certain
further amendments to the